

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम जोधपुर

जगदीश के कायम मुकाम लीला व

बनाम्

कमला व अन्य

अन्य

किस्म मुकदमा – आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. 1908

मुकदमा संख्या – C/48/2025

जीसीएमएस नं .2025/318

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.10.2025	<p>प्रार्थीगण की ओर से एक विविध प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. 1908 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मो0 असलम अब्बासी, सलमा सूल्ताना, इस्लामुदीन, मो0 शोईब व ईशरत ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए पूर्व निर्णित राजस्व वाद संख्या P/92/2024 अनवान् जगदीश बनाम् कमला व अन्य अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा को रेस्टोर कर पुनः रिकॉर्ड में लिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आयन्दा दिनांक 27.10.2025 को पेश हो।</p>	
27.10.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण को उचित, युक्तियुक्त एवं सद्भाविक प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर उपर्युक्त वर्णित मूल राजस्व वाद संख्या P/92/2024 अनवान् जगदीश बनाम् कमला व अन्य अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा को पुनः उसी नम्बर पर रेस्टोर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	



Handwritten signature and blue ink stamp of the District Judge, Jodhpur.